

||||| महाविद्यालय प्रार्थना |||||

सत्यव्रतं सत्यपरं व्रिसत्यं
सत्यस्यं योनि निहितं च सत्ये
सत्यस्य समयमृतसत्यनेत्रं,
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः ॥

या कुन्देन्दुतुषारहारध्वला या शुभ्रवस्त्रावृता,
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्मच्युतशंकर प्रभूतिभिर्देवैः सदाचन्दिता,
सा मां पातु सरस्वती भगवती निशशेषजाइयापहा॥

किशोरी रमण महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा

महाविद्यालय का परिचय

किशोरी रमण महिला (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय की स्थापना 21 अगस्त 1957 को हुई थी। इस प्रकार यह महाविद्यालय 21 अगस्त को अपने 64 वर्ष पूरे करने जा रहा है। महाविद्यालय का बचपन तूफानों और झँझावतों में बीता। संघर्षों से टक्कर लेती हुई यह संस्था अपनी अपूर्व क्षमता के कारण विकास की ओर निरन्तर अबाध गति से बढ़ती रही। इस महाविद्यालय का परीक्षा फल सदैव उल्लेखनीय तथा आदर्श रहा है। यहां की छात्राएँ प्रतिवर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती रही हैं तथा सम्प्रति प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं। फलस्वरूप उ० प्र० शासन ने इस महाविद्यालय के उत्कर्ष एवं सराहनीय कार्य हेतु तीन बार योग्यता अनुदान दिया। छात्राओं को बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न बनाना तथा सामाजिक परिस्थितियों में अग्रिम रहने की प्रेरणा एवं आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ सामंजस्य इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 14 विषय हैं एवं स्नातकोत्तर कक्षाएँ संगीत गायन एवं मनोविज्ञान विषय में हैं। इसके अतिरिक्त बी.एड. की कक्षाएँ भी संचालित होती हैं।

प्रवेश नियम

1. प्रवेश आवेदन पत्र का पंजीकरण शुल्क 2/- रु० कार्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अंकतालिका जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों के साथ जमाकर, रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
2. विवरणिका में दिये गये विश्वविद्यालय प्रवेश नियमानुसार सभी कक्षाओं में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।
3. गत संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के समय जमा कराना अनिवार्य होगा।
4. अन्य विश्वविद्यालय से आने वाली छात्राओं को प्रवेश प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रवेश के साथ जमा करना होगा तभी उनका प्रवेश स्थाई माना जाएगा।
5. प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने व जमा करने का समय प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक होगा।
6. प्रवेश की सूचना नोटिस बोर्ड/महाविद्यालय की वेबसाइट पर लगा दी जाएगी। अभ्यर्थिनी का दायित्व होगा कि वह कालेज सूचना पट/महाविद्यालय की वेबसाइट पर लगी सूची से अपनी प्रवेश की स्थिति सुनिश्चित करें।
7. प्रवेश लेते समय प्रत्येक छात्रा को अपनी मूल अंक तालिकाएँ/प्रमाण पत्रों, टी.सी., चरित्र प्रमाण-पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष सूची में दी गई तिथि पर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक उपस्थित हों। प्रवेश समिति की संस्तुति के बाद छात्राएँ प्राचार्य की प्रवेश अनुमति प्राप्त कर शुल्क जमा करा दें।

-
8. उपर्युक्त समस्त नियमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली में उल्लिखित नियम सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु लागू होंगे ।
 9. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय प्रवेश क्रमानुसार एक संख्या दी जाएगी जोकि उसकी फीस रसीद पर अंकित रहेगी । इसे याद रखना एवं संदर्भित करना आवश्यक होगा ।

नोट :-

1. अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा ।
 2. आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाएगा ।
 3. प्रवेश के संदर्भ में केवल प्रवेश समिति से सम्पर्क करें ।
 4. प्रवेश के समय चयनित किए गये विषयों में परिवर्तन करना सम्भव न होगा ।
1. पाठ्य सहगामी क्रियायें :-
 1. वाद्य यंत्र, ढोलक, मजीरा, मृदंग, वाइलिन, गिटार, तबला, हारमोनियम, माउथ आरगन, जलतरंग, अन्य
 2. लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य संगीत, गायन, नृत्य
 3. थियेटर व नाटक
 4. सिलाई
 5. क्राफ्ट
 6. ब्यूटी कल्वर
 7. कम्प्यूटर
 8. अन्य

नोट -

1. इण्टरमीडिएट में जो प्रयोगात्मक विषय है उसी के आधार पर बी.ए. प्रवेश में प्रयोगात्मक विषय को प्राथमिकता दी जायेगी ।
2. प्रवेशार्थी अपने विषयों का चयन स्वयं (अभिभावक की सलाह भी ले सकते हैं, अगर प्रवेशार्थी उचित समझें) अन्तिमरूप में करें । **प्रवेश के बाद कोई विषय परिवर्तन नहीं होगा । ?**

स्नातक स्तर पर -

बी.ए. प्रथम वर्ष : स्नातक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शासनादेश एवं डॉ० भीमराव आंबेडकर वि.वि. के निर्देशानुसार विषय एवं कोर्स काउंसिलिंग के समय आवंटित किये जायेंगे ।

बी.ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

बी०ए० द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में छात्राओं द्वारा वही विषय चुने जायेंगे जोकि प्रथम वर्ष में चुने गये थे ।

१. महाविद्यालय में शासन द्वारा अनुमोदित विषय/संकाय

 1. हिन्दी भाषा या अंग्रेजी सामान्य या सामान्य संस्कृत
 2. हिन्दी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य
 3. संस्कृत साहित्य
 4. अर्थशास्त्र
 5. राजनीतिशास्त्र/चित्रकला
 6. इतिहास/संगीत गायन/संगीत तबला/संगीत सितार
 7. समाजशास्त्र
 8. गृहविज्ञान
 9. मनोविज्ञान
 10. शारीरिक शिक्षा
 11. राष्ट्रीय गौरव एवं पर्यावरण शिक्षा (अनिवार्य विषय – बी.ए. प्रथम वर्ष)

स्नातकोत्तर स्तर पर -

- एम.ए.(मनोविज्ञान)
 - एम.ए. (संगीत गायन)

बी० एड० विभाग

(सत्र 2015-16 से बी.एड. पाठ्यक्रम द्विवर्षीय हो गया है।)

प्रवेश :-

शिक्षण प्रशिक्षण कार्य प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा

बी० एड० कक्षा में डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा घोषित सूची के अनुसार ही प्रवेश देना सम्भव हो सकेगा ।

पाठ्यक्रम :-

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है ।

(अ) लिखित परीक्षा | (ब) क्रियात्मक कार्य

बी०ए८० परीक्षा लिखित तथा क्रियात्मक कार्य के लिए निम्न प्रकार से पृथक पृथक श्रेणियां प्रदान की जाएँगी।

प्रथम श्रेणी	60
द्वितीय श्रेणी	48
तृतीय श्रेणी	36

Paper Code	Paper Name	Maximum Marks	Minimum Marks
BD-101	Childhood & Growing Up	Term Exam Internal Assessment 80 } 100 20 }	32 } 40 08 }
BD-102	Contemporary India & Education	Term Exam Internal Assessment 80 } 100 20 }	32 } 40 08 }
BD-103	Learning & Teaching	Term Exam Internal Assessment 80 } 100 20 }	32 } 40 08 }
BD-104	Language Across the Curriculum	Term Exam Internal Assessment 40 } 50 10 }	16 } 20 04 }
BD-105	Understanding Disciplines & School Subjects	Term Exam Internal Assessment 40 } 50 10 }	16 } 20 04 }
BD-106	Pedagogy of School Subjects	Part - A Part - B 50 } 100 50 }	20 } 40 20 }
BD-107 (EPC-1)	Art & Aesthetics	Term Exam Internal Assessment 40 } 50 10 }	16 } 20 04 }
BD-108 (EPC-2)	Critical Understanding of ICT	Term Exam Internal Assessment 40 } 50 10 }	16 } 20 04 }
Practical Work-1	Internship-I	50	25
	Aggregate Passing Minimum Marks in 45%	650	293

टिप्पणी-प्रवेश के उपरान्त अभ्यास विषयों में परिवर्तन करना सम्भव न हो सकेगा ।

नोट :-

- यदि शुल्क निश्चित तिथियों में कार्यालय में जमा नहीं हुआ तो छात्रा का नाम काट दिया जाएगा । और उसे सम्बन्धित विषय की कक्षाओं में नहीं बैठने दिया जायेगा ।
- प्रतिलिपि शासकीय पत्र सं 03547/15-10-76 दिनांक 5.4.76 श्री हरचरण सिंह सोढ़ी, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन (10) अनुभाग लखनऊ द्वारा प्रेषित ।

-
3. शासन की जानकारी में यह आया है कि छात्राओं द्वारा शुल्क की किश्त निर्धारित समय पर जमा नहीं की जाती है, अपितु यह साल के अन्त में जमा की जाती है। साल के अन्त में ऐसी किश्त जमा करने में छात्राओं को भी कठिनाई होती है और यह महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के हित में भी नहीं है। आपसे अनुरोध है कि कृपया ऐसी व्यवस्था कर दें कि शुल्क की किश्तें छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त स्नातक स्तर की प्रयोगशाला शुल्क, मनोविज्ञान, संगीत, कला एवं गृहविज्ञान के लिए 20/- रु० प्रतिमाह और जमा करना होगा तथा स्नातकोत्तर स्तर पर मनोविज्ञान 20/- संगीत गायन 20/- प्रतिमाह देय होगी।
4. छात्राओं द्वारा प्रवेश के समय प्रथम किश्त तथा समस्त वार्षिक शुल्क जमा करना होगा।
5. निर्धारित समय पर शुल्क जमा न करने पर छात्रा का नाम स्वतः ही विद्यालय की पंजीकरण पुस्तिका से पृथक कर दिया जाएगा। आगामी मास में शुल्क की धनराशि एवं 2/- प्रवेश शुल्क देने पर ही छात्रा का नाम पुनः पंजीकृत किया जा सकता है।
6. विश्वविद्यालय की परीक्षा हेतु आवेदन-शुल्क प्रवेश के समय ही लिया जाएगा।
7. छात्रा यदि आरक्षित कोटे में प्रवेश चाहती है तब उसे जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना है। अन्यथा आरक्षित कोटे में प्रवेश देना संभव न हो सकेगा।

प्राचार्य

सामान्य नियम

1. उपस्थिति :-

प्रत्येक विषय/प्रयोगात्मक विषय में छात्रा को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, तथा उससे कम उपस्थित होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अहर्ता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी ।

2. अनुशासन

प्रत्येक छात्रा सदृश्यवहार द्वारा अनुशासन के मौलिक नियमों का पालन करेगी और इनका उल्लंघन गम्भीर अपराध । माना जाएगा । उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी सत्र में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी । परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करती पाई जाने वाली छात्राओं को भी आगामी सत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

3. परिचय पत्र

परिचय-पत्र छात्रा को प्रवेश के समय कार्यालय से प्रदान किया जाएगा । यह पत्र वर्तमान सत्र के लिए मान्य होगा एवं यह अपरिवर्तनीय है । पुस्तकालय पत्र प्राप्त करने के लिए भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यह प्रस्तुत करने पर ही छात्रा को पाठ्य पुस्तकें और छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकेगी । खो जाने पर 10/-रु० जमा करके इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है । परिचय पत्र छात्रा सदैव अपने पास रखेगी । उन सभी स्थानों पर जहां वे उपस्थित होने का अधिकार रखती है ।

4. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

वर्ष 1972 से विद्यालय में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । जो छात्राएं एन.सी.सी. में रुचि न रखती हों वे इस योजना में सम्मिलित होकर सेवा भावना का परिचय दे सकती हैं । देश में पड़ने वाले सूखा, बाढ़ एवं अन्य विपत्तियों में छात्रायें गांवों में शिविर लगाकार अपनी सेवाओं द्वारा संकटों को दूर करने में अपनी सहायता देती हैं । नारी समाज में अशिक्षा, अन्धविश्वास को दूर करना तथा उनको आत्म-निर्भर बनाने में सहायता देना इस योजना का पुनीत लक्ष्य है । इस योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिक्षा आदि की जानकारी दी जाती है ।

योगासन एवं अध्यात्मिक शिक्षा- छात्राओं के चारित्रिक उत्थान एवं बौद्धिक विकास की दृष्टि से प्रतिदिन प्रार्थना सभा में सरस्वती वन्दना होती है एवं गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रन्थों के वाचन के साथ-साथ अन्य अमूल्य विचार छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं । महाविद्यालय में समय-समय पर योगाभ्यास भी कराया जाता है ।

5. गाइडिंग/रेंजर्स

गाइडिंग प्रशिक्षण शिविर में छात्राओं को देश सेवा, समाज सेवा एवं कठिन परिस्थितियों में सीमित साधनों से आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है । इससे छात्राओं में आत्मविश्वास का संचार होता है और मनोबल बढ़ता है । वर्ष 2015-16 से महाविद्यालय में रेंजर्स की दो यूनिट संचालित हैं ।

6. राष्ट्रीय केडेट कोर (एन.सी.सी.)

महाविद्यालय में इस वर्ष एन.सी.सी. आरम्भ होने की संभावना है।

7. छात्रा कल्याण परिषद :-

महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को छात्रा-कल्याण परिषद का गठन करने की पूर्ण सुविधा प्राप्त है इस परिषद का संचालन विद्यालय की एक वरिष्ठ प्रवक्ता द्वारा किया जाता है।


विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु साहित्य निझरिणी, (English Study Circle) संगीत-गोष्ठी, गृह-विज्ञान, चित्रकला, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र विषयों की परिषद प्रतिवर्ष गठित की जाती है। छात्रा जो विषय लेती है उसको उससे सम्बन्धित परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है।

8. विद्यालय पत्रिका

छात्राओं की लेख, निबन्ध एवं काव्य-रचना की प्रतिभा को विकसित करने हेतु प्रतिवर्ष कालेज द्वारा एक पत्रिका 'सृजन' का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में छात्राओं द्वारा विभिन्न विषयों पर लिखित कहानी, लेख, निबन्ध, रेखांचित्र, कविता आदि का संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया जाता है। प्रवक्तायें भी विविध विषयों से सम्बन्धित लेख, कविता आदि लिखकर अपना सहयोग प्रदान करती हैं। विद्यालय में हुई प्रतियोगिताओं एवं अन्य कार्यक्रमों का भी विवरण दिया जाता है। पत्रिका का मुख्य उद्देश्य सृजनात्मक गुणों को विकसित करना है।

9. परिधान

अ. छात्रायें श्वेत सादा टेरीकॉट (हकोबा नहीं) की सलवार कमीज एवं सूती दुपट्टा पहनेंगी। कमीज का गला गोल तथा बाहें 3/4 (तीन चौथाई) होना अनिवार्य है। सर्दियों में काला पूरी बांह का स्वेटर। काले जूते, सफेद मोजे, पूरे सत्र में पहनना अनिवार्य है। बी.ए. की विवाहित छात्राएं सफेद दुपट्टे पर लाल किनारी लगाकर पहन सकती हैं। परिधान संलग्न चित्र के अनुसार बनेगा-



1. कुर्ता घुटने तक, लम्बी चाक 8'' से 10 '' , गोल गला आगे बटन वाला, बाह 3/4
2. दुपट्टा सूती
3. सलवार सादा

10. प्रमाण-पत्र

सभी प्रमाण-पत्र छात्रा को उसी स्थिति में दिये जायेंगे जबकि वह कोई भी विद्यालय के शुल्क का पूर्ण धन जमा कर देगी । किसी प्रकार का शुल्क छात्रा की ओर शेष रहने पर उक्त प्रमाण पत्र देना सम्भव न होगा ।

11. पारितोषिक वितरण

उन सभी छात्राओं को पारितोषिक प्रदान किये जायेंगे जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अपनी कक्षा में विविध विषयों में उच्च अंक प्राप्त करती हैं तथा अन्य कार्यक्रमों में अपनी निपुणता एवं योग्यता का परिचय देती हैं ।

12. पुस्तकालय

1. महाविद्यालय में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय है जिसके वाचनालय में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत के समाचार-पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रिकाएँ छात्राओं को हर समय पढ़ने को उपलब्ध रहती हैं ।
2. जुलाई मास के शुल्क की रसीद पुस्तकालय में दिखाने पर छात्रा को दो पाठक-पत्र प्राप्त कराए जाएंगे जिनकी आवश्यकता पुस्तकों लेने में होती है ।
3. कोई भी छात्रा एक समय में दो से अधिक पुस्तकों अपने पास नहीं रख सकती है ।
4. पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों छात्रा को 15 दिन के अन्दर लौटा देनी चाहिए । ऐसा न होने पर 2 रुपया प्रतिदिन का दण्ड प्रति पुस्तक के हिसाब से देना होगा ।
5. छात्रा से पुस्तकालय की पुस्तक फट जाने अथवा खो जाने पर पुस्तक का मूल्य छात्रा को जमा करना होगा ।
6. वर्तमान पाठक पत्र खो जाने पर पुस्तकालय अध्यक्षा को सूचना देनी चाहिए एवं पत्रक पुनः बनवाने हेतु 4/- प्रति पत्रक देना होगा ।

13. बुक बैंक योजना

निर्धन छात्राओं को वर्ष भर के लिए पुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

14. परीक्षा केन्द्र

यह महाविद्यालय विश्वविद्याय की बी.ए., एम.ए., एवं बी.एड. परीक्षाओं का केन्द्र है। सभी छात्राओं को इसी केन्द्र से परीक्षा देनी होगी। व्यक्तिगत छात्राओं के आवेदन पत्र भी यहां से विश्वविद्यालय को अग्रसारित किये जाते हैं। प्रत्येक छात्र को अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

विशेष :- डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सत्र 2012-13 की परीक्षाओं से केवल “ए” उत्तर पुस्तिकार्यों छात्रों को उपलब्ध करायी जायेंगी। “बी” उत्तर पुस्तिकार्यों उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

क्र.सं.	कक्षा	कुल छात्रा	समान्य जाति	अनु. जाति	अनु. जन	पिछँजी जाति	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
1.	बी.ए.-।	640	288	134	13	173	32
2.	एम.ए.-। मनोविज्ञान	30	13	06	01	08	02
3.	एम.ए.। संगीत-गायन	20	09	04	01	05	01
4.	बी.एड.	80	-	-	-	-	-

नोट - उक्त वर्णित छात्र संख्या में 3 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र संख्या के स्वयं सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) के अन्दर की)

बी. ए., एम. ए. तथा बी. एड. का महाविद्यालय शुल्क

क्र.सं.	वार्षिक शुल्क	B.A.I	B.A.II	B.A.III	M.A.I	M.A.II	B.Ed.I	B.Ed.II
1.	शिक्षण शुल्क	--	--	--	--	--	--	--
2.	महंगाई शुल्क	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
3.	पुस्तकालय शुल्क	30.00	30.00	30.00	37.50	37.50	30.00	30.00
4.	प्रवेश प्रार्थना पत्र का पंजीकरण	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6.	उष्ण एवं शीत शुल्क	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
7.	पंखा शुल्क	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
8.	क्रीड़ा शुल्क	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
9.	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
10.	गृह परीक्षा शुल्क (प्रति परीक्षा)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
11.	वि. कल्याण शुल्क	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	18.00
12.	पत्रिका शुल्क	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
13.	परिचय पत्र तथा दैनिन्दिनी	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
14.	वार्षिक उत्सव	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15.	वि.वि.प. शुल्क	1500.00	1500.00	1500.00	200.00	2200.00	4000+500	400+500
16.	नामांकन शुल्क	300.00	-	-	-	-	-	-
17.	विकास शुल्क 12 मास	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
18.	छात्रा परि. शुल्क	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
19.	गाइडिंग शुल्क	-	-	-	-	-	15.00	15.00
20.	नि. छात्रा कोष	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
21.	भवन रख-रखाव शुल्क	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
22.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
23.	इन्सीडेन्टल	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
24.	उपाधि शुल्क	200.00	-	-	200.00	-	200.00	-
	योग बिना प्रेक्टीकल	3104.00	2604.00	2604.00	3511.50	3311.50	5825.00	5625.00

नोट :-

1. B.A. प्रयोगात्मक विषय लेने वाली छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क 1500/- के स्थान पर 1700/- देय होगी।
2. M.A./B.A. प्रयोगात्मक विषय लेने वाली छात्राओं की इन्सीडेन्टल लाइब्रेरी के अतिरिक्त 25/- रु. और देय होगा
3. M.A./B.A./B.Ed प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय का शुल्क रु. 20/- प्रतिमाह अतिरिक्त देय होगा। (मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा)
4. M.A./B.Ed. में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की छात्रा को रु 300/- नामांकन शुल्क के रूप में अतिरिक्त देने होंगे एवं बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के प्रवेश शुल्क में परिवर्तन शासन द्वारा प्राप्त शासनादेश के अनुसार प्रवेश के समय संभव होगा।

विशेष : उक्त तालिका की देय फीस में यदि सरकार द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित फीस छात्रा द्वारा प्रवेश के बाद देय होगी।

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(Website : www.dbrau.ac.in)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 द्वारा अनुमोदित प्रवेश नियमावली सत्र 2021-22

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि गृह विज्ञान प्रबन्धन, लाइफ साइंसेज, इन्जीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश इन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिनकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कूलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियामावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

- वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेंगे।
- ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/समयबद्धता विभिन्न बोडीज द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
- सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश एडमीशन मॉनीटरिंग सिस्टम (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पांच चरणों क्रमशः 1) पंजीयन 2) वेब रजिस्ट्रेशन 3) फार्म भरना 4) पाठ्यक्रम चुनना 5) फार्म प्रिंट ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण करके छठे चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहां प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं भरना होगा। सभी आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो एडमीशन मॉनीटरिंग सिस्टम की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट [dbraco.org.in](http://www.dbrau.org.in) के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेगी।
- महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- एडमीशन मॉनीटरिंग सिस्टम में शुल्क निर्धारण के लिए प्रवेश समिति द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया। कुलपति जी कोविड-19 महामारी और उसके कारण गहराये आर्थिक संकट तथा छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि एडमीशन मॉनीटरिंग सिस्टम की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी से केवल 100 रु० शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

- (अ) सत्र 2021-2022 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सेमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा प्रवेश शुल्क के साथ 200/- रु० उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।
- (स) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 16 अगस्त 2021 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित रोका गया हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

1.	महाविद्यालय के खुलने की तिथि	शासनादेश के अनुसार
2.	स्नातक प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि	13 अगस्त 21
3.	स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि	31 अगस्त 21
4.	स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	06 सितम्बर 21
5.	स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अंतिम तिथि	06 सितम्बर 21
5.	स्नातक द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	09 सितम्बर
उक्त तिथियां शासन के अधीन होंगी। छात्रों को सलहा दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।		
3. (अ)	किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।	
(ब)	महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।	
(स)	यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की इच्छुक हैं और उसकी अर्हता परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्या को यह अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकते हैं परन्तु उन्हें छात्र/छात्रा से यह शपथपत्र लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें:-	
	<input type="radio"/> किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया है। <input type="radio"/> किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो। <input type="radio"/> किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् न हो। <input type="radio"/> कहीं सेवारत न हो।	
ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश में प्राचार्या का निर्णय अन्तिम होगा।		
(द)	स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय के स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।	
5.	प्राचार्या को प्रवेश के मामले में डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्घृत अध्यादेश - 2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे :-	
<p>"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."</p>		

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है ।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो ।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो ।
6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी:-
 - (1) बी०एस-सी० (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण ।
 - (2) बी०एस-सी० (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण ।
 - (3) बी०एस-सी० (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण ।
 - (4) बी०एस०सी० (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
 - (4) बी०ए०/बी०काम० के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण ।
 - (5) सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजूकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई । कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये ।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level Along with revised scheme of studies) **(परिशिष्ट-1)**

- (ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एस-सी० (कृषि)/बी०एस-सी० परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी । उ०प्र० बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्लाईट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे ।
- (स) **स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे:-**
- (I) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थित स्थाई रूप से, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवम् उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा । जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा य०पी० आगरा मण्डल तथा ड० बी०आर० अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो, जनपदों के इण्टरमीडिएट कालेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा तथा स्नातक स्तर की परीक्षा य०पी० के आगरा मण्डल तथा ड० बी०आर० अम्बेदकर विश्वविद्यालय आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो, किन्तु एम-एस०सी० (कृषि) के प्रवेश के लिए हाईस्कूल की परीक्षा य०पी० आगरा/अलीगढ़ मण्डल के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है ।
 - (II) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो ।
 - (III) शासनादेश संख्या जी०आर्ड० 35/सत्तर-१-२००० दिनांक 23 सितम्बर, २००० के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा ।
 - (IV) भाग-२ तथा ३ रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग - १ के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी ।

- (V) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- I अधिष्ठाता - छात्र कल्याण
 - II प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य - चक्रक्रमानुसार
 - III एस. एन. मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा नामित - मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक
- नोट :** कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।
- (IV) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर वर्ष में संध याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (V) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :

7. (क) स्नातक कक्षायें :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का | 50 प्रतिशत अंक/ग्रेड दोनों |
| 2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का | 100 प्रतिशत/ग्रेड अथवा दोनों |

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

- | | |
|--|-------------|
| 1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों /ग्रेड का | 50 प्रतिशत |
| 2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का | 100 प्रतिशत |

नोट : 1 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए लिये जायेंगे।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहां अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :

- | | |
|--|-------|
| 1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय /राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये | 5 अंक |
| (अ) प्रथम विजेता होने के लिए | 5 अंक |
| (ब) द्वितीय विजेता होने के लिए | 4 अंक |

	(स) तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
	(द) प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक
2.	एन०सी०सी० “सी” सर्टिफिकेट/जी-२ उत्तीर्ण केडिटों को अथवा एन०सी०सी० “बी” सर्टिफिकेट/जी-१ उत्तीर्ण केडिटों को अथवा एन०सी०सी० केडिटों जिन्होंने २४० घण्टे कार्य किया है २ कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है ।	8 अंक
3.	स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री)	3 अंक
4.	राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को	5 अंक
5.	बी.कॉम (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को ५ अतिरिक्त अंक दिये जाये, जिन्होंने इंटरमिडिएट या १०+२ की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हो ।	5 अंक
(ख)	स्नातकोत्तर कक्षायें :	
1.	विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु (अ) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए	8 अंक
	(ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए	7 अंक
	(स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए	6 अंक
	(द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए	3 अंक
2.	विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु (अ) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
	(ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
	(स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
	(द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक
3.	एन०सी०सी० “सी” सर्टिफिकेट/जी-२ उत्तीर्ण केडिटों को अथवा एन०सी०सी० “बी” सर्टिफिकेट/जी-१ प्रमाण पत्र धारक कैडिटों को, अथवा एन०सी०सी० केडिट जिन्होंने २४० घण्टे कार्य किया है, और २ कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है ।	8 अंक
4.	एन०एस०एस० में २४० घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए	5 अंक
5.	महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो अथवा महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य का जिसने	3 अंक

अन्तर विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो	
(अ) प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
(ब) द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
(स) तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
(द) प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक

नोट : उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन०सी०सी० अधिकारी/एन०एस०एस० समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।

ग) सभी कक्षायें :

1. डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्री/पुत्र
17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रेंक के केवल पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री
(अविवाहित)
10 अंक
3. कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में
17 अंक

टिप्पणी :

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषण स्वयं करेगा यदि वह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी ।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

नोट : किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था ।

उपर्युक्त “1” से “3” तक के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।

8. (अ) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्षण में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा । उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति का होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे । कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्षणों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा । उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।
- (ब) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

(स) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्नपत्र को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभवन होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
 (ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।
 (स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्रा का होगा।
 (द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचना पट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों को आधतन “अपटू-डेट” जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भांति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा ही होगा।

10. आवेदक यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गये लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
 11. अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इंटर की परीक्षा यू.पी. बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड/प्रांत द्वारा इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 12. नई शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।

शैक्षणिक कलेज़ द्वारा प्रस्तावित तिथियां

		विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित तिथियां	शासन द्वारा प्रस्तावित तिथियां
1.	वेब रजिस्ट्रेशन स्नातक प्रथम वर्ष (प्रवेश परीक्षाओं को छोड़कर)		

प्राचार्य (कार्यवाहक)

Mobile No.

e-mail

1. डॉ० रागिनी अग्रवाल 9412574476 agrawal.ragini64@gmail.com

अध्यापिका मण्डल

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ० रागिनी अग्रवाल (कार्यवाहक प्राचार्य)
2. रिक्त

गृह विज्ञान विभाग

1. श्रीमती सुजाता रानी 9410038299
2. डॉ. सुनीता मिश्रा 9452016621 mishrasunita@gmail.com
3. रिक्त

संस्कृत विभाग

1. डॉ० पल्लवी सिंह 7906519821 professor.pallavi@gmail.com
2. रिक्त

समाजशास्त्र

1. डॉ० कविता कन्नौजिया 9450709714 drkavitakanojia@gmail.com
2. श्रीमती आकांक्षा कुमारी 8194007200 akanksha.saraswat2015@gmail.com
3. डॉ० अनुपम मिश्रा 8887605452 mishraanupam0476@gmail.com

चित्रकला विभाग

1. डॉ० रश्मि गौड़ 9560095395 rashmigaur2004@gmail.com
2. डॉ० मनीषा शर्मा 9837551799 manisha25165@gmail.com

शारीरिक शिक्षा

1. श्रीमती बबिता 9897969719 babita.gautam@gmail.com

हिन्दी विभाग

1. डॉ० निधि शर्मा 9258797501 drnidhisharma21@gmail.com
2. श्रीमती रुमी जैसवाल 9415457194 roomeejaiswal@gmail.com
3. डॉ० ज्योतेष चौहान 7726866997 jyoti7726866997@gmail.com
4. श्रीमती शीला देवी 9026444519 sheelarajbhar257122@gmail.com

संगीत विभाग

सितार

1. रिक्त

गायन

1. डॉ. श्वेता केशरी 8853754911 piyukuhu08@gmail.com
2. डॉ. आम्रपाली 8800156412 palitrivedi@gmail.com

तबला

1. डॉ. मोनिका दीक्षित 9319246402 drmonikadixit.2010@gmail.com

अंग्रेजी विभाग

- | | | | |
|----|-----------------|------------|---------------------------|
| 1. | डॉ० अदिति शर्मा | 9927227755 | sharmaaditi750@gmail.com |
| 2. | डॉ० ममता पासवान | 8564025124 | mimi.desire2010@gmail.com |
| 3. | डॉ० रितु सुरेश | 9795849345 | ritu.suresh3@gmail.com |

राजनीति शास्त्र विभाग

- | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------------------|
| 1. | कु० दीप्तिस्ना | 7380333055 | diptisnaorai@gmail.com |
| 2. | श्रीमती पूजा सेठ | 8860690918 | sethpooja66@gmail.com |
| 3. | कु० अनुपम गौतम | 9821462747, 9810656711 | anupamgautamseemantini87@gmail.com |
| 4. | आयोग द्वारा चयन हो चुका है (शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की संभावना) | | |

मनोविज्ञान विभाग

1. रिक्त
2. रिक्त
3. रिक्त

इतिहास विभाग

1. रिक्त

बी० एड० विभाग

- | | | | |
|----|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. | डॉ० तनूजा अग्रवाल | 9457125961 | tanuja.agrawal41@gmail.com |
| 2. | डॉ० माधुरी सिंह | 9870765093, 9410064827 | singhmadhuri473@gmail.com |
| 3. | श्रीमती रेखा रानी | 9410272896 | rekharanichandanvan@gmail.com |
| 4. | रिक्त | | |
| 5. | रिक्त | | |
| 6. | रिक्त | | |
| 7. | रिक्त | | |
| 8. | रिक्त | | |
-

योजनाधिकारी : राष्ट्रीय सेवा योजना

1. डॉ० आम्रपालि
2. डॉ० मनीषा शर्मा

रेंजर्स लीडर (गाइडिंग)

- | | | |
|----|--------------------|--------|
| 1. | डॉ० रागिनी अग्रवाल | बी.ए. |
| 2. | डॉ० निधि शर्मा | बी.ए. |
| 2. | डॉ० माधुरी सिंह | बी.एड. |

पुस्तकालय

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | डॉ० वन्दना सारस्वत | पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रवक्ता लाइब्रेरी
(एकेडेमिक नॉन वोकेशनल स्टॉफ) |
| 2. | पीयूष नागर | पु० लिपिक |

कार्यालय

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | रिक्त | कार्यालय अधीक्षक |
| 2. | रिक्त | सहायक लेखाकार |
| 3. | डॉ० कीर्तिबाला पाठक | आशुलिपिक/का.वा. कार्यालय अधीक्षक |
| 4. | श्री श्रवण कुमार अग्रवाल | कनिष्ठ सहायक/का.वा.सहा. लेखाकार |
| 5. | श्री सुरेश लवानियाँ | कनिष्ठ सहायक |

प्रयोगशाला सहायिका

- | | | |
|----|-------|------------|
| 1. | रिक्त | मनोविज्ञान |
| 2. | रिक्त | गृहविज्ञान |

तबला संगतकार

- | | | |
|----|-------|-------|
| 1. | रिक्त | संगीत |
|----|-------|-------|

प्रवेश समिति 2020-21

बी.ए. प्रथम वर्ष

1. श्रीमती सुजाता रानी	संयोजिका
2. डॉ. पल्लवी सिंह	सह-संयोजिका
3. श्रीमती बबिता	सदस्य
4. डॉ० श्वेता केशरी	सदस्य
5. डॉ० मनीषा शर्मा	सदस्य
6. श्रीमती आकांक्षा कुमारी	सदस्य
7. श्रीमती पूजा सेठ	सदस्य
8. कु० रितु सुरेश	सदस्य
9. डॉ० ज्योतेश चौहान	सदस्य
10. कु० अनुपम मिश्रा	सदस्य

बी.ए. द्वितीय वर्ष

1. डॉ. कविता कन्नौजिया	संयोजिका
2. डॉ० निधि शर्मा	सह-संयोजिका
3. डॉ० सुनीता त्रिपाठी	सदस्य
4. कु० दीप्तिस्ना	सदस्य
5. डॉ० अदिति शर्मा	सदस्य
6. श्रीमती शीला	सदस्य

बी.ए. तृतीय वर्ष

1. डॉ. रश्मि शर्मा	संयोजिका
2. डॉ० मोनिका दीक्षित	सह-संयोजिका
3. डॉ० आम्रपालि	सदस्य
4. श्रीमती रुमी जैसवाल	सदस्य
5. कु० अनुपम गौतम	सदस्य
6. कु० ममता पासवान	सदस्य

एम.ए. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (प्रवेश समिति एवं समय सारिणी)

- | | |
|---|-------------|
| 1. डॉ. श्वेता केशरी (संगीत गायन/मनोविज्ञान) | संयोजिका |
| 2. डा. आम्रपाली (संगीत गायन/मनोविज्ञान) | सह-संयोजिका |

बी.एड. (प्रवेश समिति एवं समय सारिणी)

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. डॉ. तनूजा अग्रवाल | संयोजिका |
| 2. डॉ. माधुरी सिंह | सह-संयोजिका |
| 3. डॉ. रेखा रानी | सदस्य |

कोविड-19 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना-
विश्व स्वास्थ्य संगठन/स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार/स्वास्थ्य
विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कोविड-19 से बचाव/रोकथाम
हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन सभी के लिए अनिवार्य
होगा साथ ही सभी को अपने मोबाइल फोन में आयुष
कवच एवं आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य रूप से डाउनलोड
करना होगा।



Help us to
help you

अब हमें मिला एक और सुरक्षा कृति।
आएं, कोविड-19 टीकाकरण अभियान
के साथ जुड़ें।

हैप्पी

कोरोना के
नियन्त्रण के लिये

पूर्ण सुरक्षा के लिए
टीकाकरण के बाद
भी पांच सावधानियां
अवश्य करें।



नामांकन करी हो पहले



सभी को नियमित रूप से
तांड़न र चापनी हो शोएं या
स्वीकृतिशुद्धि का प्रयोग करें



आपस ने 6 फैटर (1 लाख)
की लार्जिंग दूषी बचाएं



लगान रिसेप्शन पर
पुरात का सुरक्षा
से अलग करें



लगान रिसेप्शन पर
तुरंत पर्सनल कारबाह
से अलग करें



हम सुरक्षित
देश सुरक्षित

Helpline No.: 1075 (Tollfree)

mohfw.gov.in

@MoHFW_India

@MoHFW_INDIA

@mohfwindia